1 Aug. 2009

(44)

प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह दिनांक 15 अगस्त, 2009 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए।

प्यारे देशवासियो, भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चो,

ये मेरी खुशकिस्मती है कि एक बार फिर 15 अगस्त के पवित्र दिवस मुझे आज आपके सामने अपनी बात रखने का मौका मिला है। इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। आज का दिन, आज का दिन निश्चिय ही हमारे लिए खुशी और गर्व का दिन है। हमें अपनी आजादी पर गर्व है, हमें अपने लोकतन्त्र पर गर्व है, हमें अपने मूल्यों और आदर्शों पर गर्व है। पर आज के दिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि आज हम जहाँ पर हैं वहाँ पहुँचने के लिए लाखों भारतवासियों ने कुर्बानियां दी हैं। हमारी तरक्की और खुशहाली की बुनियाद हमारे स्वतंत्रता सैनानियों, हमारी सेना के बहादुर नौजवानों, हमारे किसनों, हमारे मजदूरों और हमारे वैज्ञानिकों के त्याग, बलिदान और मेहनत पर रखी गयी है।

आज हम उन सभी शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने देश की आजादी और सुरक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। देश के उन बहादुर सपूतों और बेटियों को श्रृद्धांजलि देने का सबसे बड़ा तरीका यही होगा कि हम आज ये संकल्प लें कि हम हमेशा देश की एकता और अखण्डता को मजबूत करने के लिए समर्पित रहेंगे। आइए, भाइयो और बहनो, आज हम सब मिलकर प्रण करें कि भारत का नाम ऊंचा रखने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

भाइयों और बहनों,

अभी कुछ महीने पहले जो चुनाव हुए इनसे हमारा देश और हमारा लोकतंत्र और मजबूत हुआ है। इन चुनावों में भारत की जनता ने देश और समाज को जोड़ने वाली राजनीति को स्वीकार किया है। आपने एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को चुना है जो धर्म निरपेक्ष है और जिसमें कई तरह की विचारधाराएं शामिल हैं। आपने एक ऐसी लोकतान्त्रिक जीवन शैली को चुना है जिसमें बातचीत के जरिए मतभेदों को दूर करने की गुजांइश है। मेरा मानना है कि हमारी सरकार को राष्ट्रीय जीवन में सहयोग और मेल मिलाप के एक नये युग की शुरूआत करने के लिए जन आदेश मिला है।

भाइयों और बहनों,

हमारी सरकार को जो आपने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है उसे हम विनर्मता से स्वीकार करते हैं। मैं आज के पवित्र अवसर पर आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत के हर नागरिक की उम्मीदों को पूरा करने के लिए हम पूरी लगन और मेहनत से काम करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि भारत का हर नागरिक खुशहाल और सुरक्षित हो और अपना जीवन गर्व और आत्मसम्मान से

जी सके और अपने काम में हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की त्याग और सेवा की भावना से प्रेरणा लेते रहेंगे। हमारी सरकार पण्डित जवाहर लाल नेहरू, श्रीमति इन्दिरा गांधी, श्री राजीव गांधी और अन्य महान नेताओं द्वारा दिखाये गये रास्ते पर चलने की कोशिश करेगी। हमारा प्रयास रहेगा कि अपने काम में हम सबको साथ लेकर चलें और देश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए आम सहमति और सहयोग का माहौल पैदा करें।

हम सोचते हैं कि सही मायनों में भारत की तरक्की तभी हो सकती है जब उसमें हरेक नागरिक की भागीदारी हो। हमारे राष्ट्रीय संशाधनों पर हर भारतवासी का हक हैं। पिछले पांच सालों में हमारी सरकार की नीतियां और कार्यक्रम इसी सोच पर आधारित रहे हैं। हमारा प्रयास ये सुनिश्चित करने का रहा है कि विकास का फायदा समाज के सभी तबकों और देश के हर क्षेत्र और हरेक नागरिक तक पहुंच पाये। अपने काम में हमें कामयाबी भी मिली है। पर हमारा काम अभी अधूरा है। हम इसको ईमानदारी और पक्के इरादे के साथ आगे बढ़ायेंगे।

भाइयों और बहनों,

जैसा कि आप सब जानते हैं वर्ष 2004–05 से लेकर, वर्ष 2007–08 तक हमारी अर्थव्यवस्था लगभग नौ फीसदी की दर से बढ़ी है। दुनियाभर में आर्थिक हालात के खराब होने की वजह से ये विकास दर 2008–09 में कम होकर छः दसमलब सात प्रतिशत हो गयी। ये हमारी नीतियों का ही नतीजा है कि दूसरे देशों की तुलना में हम पर विश्व आर्थिक संकट का कम असर पड़ा है। अपनी विकास दर को वापिस नौ फीसदी पर लाना हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए जो भी कदम जरूरी हैं, हम उठाएंगे। चाहे वो देश में ज्यादा पूंजी लाने के लिए हों, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हों या सरकारी निवेश बढ़ाने के लिए। हमें उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक हालात में सुधार होगा। परंतु उस समय तक हम सभी को वैश्विक आर्थिक मंदी के बोझ को सहन करना होगा। अपने व्यापारियों और उद्योगपतियों से मेरी अपील है कि वो इस कठिन दौर से निपटने के लिए हमारे साथ मिलकर काम करें और अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाएं।

भाइयों और बहनों,

मैं बराबर यह कहता रहा हूं कि हमारे किसानों की खुशहाली के बिना भारत की खुशहाली मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि हमारी सरकार ने लाखों किसानों के कर्ज़ माफ़ किए थे। हमने कृषि उत्पादों का खरीद मूल्य पहले से कहीं ज्यादा बढ़ाया है। इस साल मानसून में कुछ कमी आई है। इसका कुछ विपरीत प्रभाव तो हमारी फसलों पर जरूर पड़ेगा, पर मुझे यकीन है कि हम इस परिस्थिति का सामना बखूबी कर पाएंगे। सूखे का मुकाबला करने के लिए हम अपने किसान भाइयों को हर प्रकार की मदद देंगे। मानसून में कमी को देखते हुए हमने किसानों द्वारा बैंकों से लिए गए

(46)

कर्ज की आदयगी की तारीख को मुल्तबी कर दिया है। इसके अलावा, कम मयाद वाले Crops Loans पर ब्याज की अदायगी के लिए हम किसानों को अतिरिक्त सहायता दे रहे हैं।

हमारे पास अनाज के पर्याप्त भंडार हैं। अनाजों, दालों और रोज़मर्रा की दूसरी ज़रूरी चीज़ो की बढ़ती हुई कीमतों पर क़ाबू पाने के लिए हर मुमकिकन कोशिश की जाएगी। मैं सभी राज्य सरकारों से अपील करूंगा कि वो आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग करें। कृषि के क्षेत्र में सफलता के लिए हमें आधुनिक उपायों का सहारा लेना होगा। सीमित मात्रा में उपलब्ध ज़मीन और जल संसाधनों का उपयोग हमें अधिक कुशलता से करना होगा। छोटे और सीमांत किसानों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमारे वैज्ञानिकों को नई–नई तकनीकें खोजनी होंगी। हम उन किसानों की ज़रूरतों पर विशेष ध्यान देना होगा, जिनके पास सिंचाई के साधन नहीं हैं। देश को एक और हरित क्रांति की जरूरत है और हम इस दिशा में भरपूर कोशिश करेंगे। हमारा लक्ष्य है–कृषि में सात प्रतिशत सालाना विकास, और मुझे विश्वास है कि अगले पांच सालों में हम इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे।

भाइयों और बहनों,

हम चाहते हैं कि हमारे देश का कोई भी नागरिक कभी भी भूखा न सोए। इसीलिए हमारा वादा है कि हम एक खाद्य सुरक्षा कानून बनाएंगे जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हर परिवार को हर महीने एक निश्चित मात्रा में रियायती दरों पर अनाज दिया जाएगा। कुपोषण की समस्या का अंत करने का भी हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। इसमें महिलाओं और बच्चों की ज़रूरतों का ख़ास ख़्याल रखा जाएगा। मार्च दो हजार बारह तक हम देश के छः साल से कम उम्र के हर बच्चे तक CIDS Schme का लाभ पहुंचाने की कोशिश करेंगे।

यूपीए की पहली सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के ज़रिए ग्रामीण क्षेत्रों में सभी परिवारों को साल में सौ दिनों के रोजगार का हक़ दिया था। पिछले चार सालों में हमने इस रोज़गार योजना का विस्तार पूरे देश में किया है। यह कानून अपने मकसद को काफ़ी हद तक पूरा कर पाया है और वर्ष 2008–09 के दौरान इनसे चार करोड़ परिवारों को फ़ायदा हुआ है। साथ ही, इस कानून से ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे में भी सुधार हुआ है। आने वाले समय में हम रोज़गार योजना में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाएंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत किए जाने वाले कामों में नई किस्म के काम भी जोड़े जाएंगे।

भाइयों और बहनों,

हमारा मानना है कि अच्छी शिक्षा न सिर्फ़ अपने आप में ज़रूरी है, बल्कि हमारे लोगों के सशक्तिकरण के लिए भसी आवश्यक है। अभी हाल ही में शिक्षा के अधिकार कानून बनाया गया है। इस कानून के बनने से देश के हर बच्चे को बेसिक शिक्षा का अधिकार मिली गया है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में संसाधनों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। हम

विकलांग बच्चों की ज़रूरतों पर खास ध्यान देंगे। पिछले कुछ सालों की मेहनत की बदौलत आज प्राथमिक शिक्षा लगभग हर बच्चे की पहुँच में है। अब हमें माध्यमिक शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। माध्यमिक शिक्षा का विस्तार एक ऐसे कार्यक्रम के तहत किया जाएगा जिसका फायदा देश के हर बच्चे को मिल जाये। हमारी यह कोशिश जारी रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वज़ीफे और बैंकों से कर्ज़ उपलब्ध हो सके।

समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के छात्रों को शिक्षा के लिए कम ब्याज पर कर्ज़ उपलब्ध कराने की एक नई योजना शुरू की जाएगी। इससे करीब 5 लाख छात्रों को तकनीकी और Professional शिक्षा पाने में मदद मिल सकेगी।

अच्छी सेहत इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में से है, एक है। हमारे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का मक़सद ग्रामीण सार्वजनिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मज़बूत करना है। हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार करेंगे, ताकि उसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हर परिवार को शामिल किया जा सके। विकास के रस्ते पर चलते हुए हम यह खास ध्यान देंगे कि अपने विकलांग भाइयों और बहनों को हम अपने साथ लेकर चलें। हम उनके लिए सहूलतें बढ़ाएंगे। सेहत की बात करते हुए मैं H1M1 virus से फेल रहे स्वाइन फ्लू का भी ज़िक्र करना चाहूंगा। आप सब जानते हैं कि हमारे देश के कुछ हिस्से इस बीमारी से परेशान हैं। केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम बीमारी पर काबू पाने की हर ज़रूरी कोशिश करती रहेगी। मैं आपको यह भी भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हालात ऐसे नहीं है कि डर और घबराहट की वजह से हमारे रोज़मर्रा के काम रूक जाएं।

भाइयों और बहनों,

ग्रामीण और शहरी इलाकों के विकास के लिए जो विशेष कार्यक्रम हमारी पिछली सरकार ने शुरू किए थे, उनमें तेज़ी लाई जाएगी। भारत निर्माण कार्यक्रम के ज़रिए ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे में हम कुछ हद तक सुधार लाने में सफल रहे हैं, पर शहरी और ग्रामीण इलाकों के विकास में अभी भी बहुत अंतर है। इसके लिए इस साल हमने भारत निर्माण के लिए धनराशि को काफी बढ़ोत्तरी दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण और Telecommunications की स्कीमों के लिए हम अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय करेंगे।

बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए हम अपनी कोशिशें और तेज़ करेंगे। सड़क, परिवहन और राजमार्ग विभाग ने रोज़ाना बीस किलोमीटर राष्ट्रीय मार्ग का निमार्ण करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। इस प्रकार रेलवे ने Dedicated Freight Corridors पर काम शुरू कर दिया है। एयर इण्डिया की समस्या पर हम गम्भीरता से गौर कर रहे हैं और जल्द ही उनका समाधान निकल आएगा। सड़क, Railways और Civil Aviation की उन परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जो जम्मू–कश्मीर और उत्तर–पूर्व के राज्यों में लागू की जा रही हैं।

(48)

शहरी इलाकों के लिए हमने जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्युअल मिशन शुरू किया था। हम इसमें भी तेज़ी लाएंगे। आज हमारे शहरों में लाखों लोग झुग्गी–झोंपड़ियों में रह रहे हैं, जहां बुनियादी सुविधाओं की बेहद कमी है। हम अपने देश को जल्द से जल्द झुग्गी–झोंपड़ी रहित बनाना चाहते हैं। इस मक़सद से अगले पांच सालों में हम झुग्गी–झोंपड़ी में रहने वाले लोगों को बेहतर आवास सुविधाएं मुहैया कराने के लिए राजीव आवास योजना शुरू कर रहे हैं।

भाइयों और बहनों,

हाल ही के सालों में जलवायु परिवर्तन दुनिया भर में चिंता का विषय बना हुआ है। अगर समय पर सही कदम नहीं आए गए तो हमारे ग्लेशियर पिघल सकते हैं और हमारी नदियों में पानी बहुत कम हो सकता है। सूखे और बाढ़ की समस्याएं और भी गंभीर हो जाएंगी। हमें वातावरण के प्रदूषण को भी रोक़ने की जरूरत है। भारत, जलवायु परिवर्तन की समस्या का सामना, दुनिया के और देशों के साथ मिलकर करना चाहता है। हमने इस काम के लिए आठ राष्ट्रीय मिशन बनाने का फेसला किया है। इन आठ मिशनों के ज़रिए हम जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने के लिए प्रतिबद्ध है। सौर ऊर्जा का प्रयोग बढ़ाने के लिए और इसको सस्ता करने के लिए इस साल 14 नवंबर को हम जवाहर लाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन की शुरूआत करेंगे।

पवित्र गंगा नदी भारत के करोड़ों लोगों के लिए जीवन स्रोत है। हमारा कर्तव्य है कि हम गंगा को साफ रखें। हमने इस काम के लिए राष्ट्रीय गंगा प्राधिकरण बनाया है। इसके तहत केन्द्र और राज्य सरकारें आपसी सहयोग से इस पवित्र नदी को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करेंगी। इस काम में आम जनता के सहयोग की भी ज़रूरत है।

भाइयों और बहनों,

हमारे कुदरती संसाधन सीमित मात्रा में हैं। हमें उनका बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए। हमें ऊर्जा बचाने ककी एक नई संस्कृति की जरूरत है। हमें पानी का फालतू इस्तेमाल रोकने की भी जरूरत है। हम पानी को इकट्ठा और जमा करने के कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान देंगे। **"पानी बचाओ"** हमारे देश में एक राष्ट्रीय नारा हो जाना चाहिए।

भाइयों और बहनों,

हम सब मुश्किलों का सामना तभी कर सकते हैं जब हम मिल जुलकर काम करें। हमारे देश के नागरिकों को अपनी नाखुशी और गुस्से का इज़हार करने का पूरा–पूरा हक़ है। मेरा यह भी मानना है कि हर एक सरकार को लोगों की शिकायतों और नाराज़गी के प्रति संवेदशील होना चाहिए। परंतु सरकारी संपत्ति की तोड़–फोड़ और खून–खराबे से कुछ हासिल नहीं होता। असहमति जताने के लिए हिंसा का सहारा लेने वालों के लिए हमारे लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है और सरकार ऐसे लोगों से सख्ती से निपटेगी।

दुनिया के सभी हिस्सों में शांति और अमन–चैन के लिए आतंकवाद एक बहुत बड़ा खतरा बनकर उभरा है। मुम्बई में पिछले नवंबर में हुए भयानक आतंकी हमले के बाद हमारी सरकार ने इसके खिलाफ़ कई कदम उठाऐ हैं। आतंकी गतिविधियों को खत्म करने के लिए हमारी खुफिया एजेंसी और सुरक्षा बलों को लगातार बेहतर बनाया जा रहा है। मुझे यकीन है कि समाज के सभी तबकों के भरपूर सहयोग से हम अपने देश से आतंकवाद को खत्म करने में कामयाब होंगे।

आज हमारे देश के कुछ हिस्से नक्सलवादी समस्या से परेशान हैं। यह सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो नागरिकों की जान और उनकी आज़ादी की हिफाजत करे। जो लोग यह सोचते हैं कि बंदूक के बल पर राज किया जा सकता है, वो हमारे लोकतंत्र की मजबूती को नहीं समझ पाये। नक्सली गतिविधियों से निपटने के लिए केन्द्र सरकार अपनी कोशिशों में तेजी जाएगी। राज्य पुलिस बलों को आधुनिक और प्रभावी बनाने में हम राज्य सरकारों की पूरी मदद करेंगे। जहाँ ज़रूरत होगी, वहाँ केन्द्रीय बल भी उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्यों के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए भी केन्द्र सरकार और अधिक प्रयास करेगी। मैं यहां यह भी कहना चाहूँगा कि हम सामाजिक और आर्थिक असंतोष के उन कारणों को दूर करने का प्रयास करेंगे, जिनसे पिछड़ापन और बेरोज़गारी दूर हो और आमदनी में फ़र्क कम हो। हम विकास की प्रक्रिया में अपने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भाइयों और बहनों की सक्रिय भागीदारी चाहते हैं।

भाइयों और बहनों,

हम यह नही मानते कि विकास में पीछे रह गए तबकों की देखभाल किसी की खुशामत करना है। हमारा यह मानना है कि ऐसा करना हम सबका फर्ज़ है। हमारी सरकार, अपने अल्पसंख्यक भाई–बहनों की भलाई का पूरा ख्याल रखेगी। हमने अल्पसंख्यकों के फायदे के लिए कई नए प्रोग्राम शुरू किए हैं।इनको और आगे बढ़ाया जाएगा। अल्पसंख्यकों की घनी आबादी वाले जिलों की तरक्की के लिए जो खास प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, उनके लिए इस साल धनराशि में बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। इसी तरह, अल्पसंख्यकों के लिए जो वज़ीफे पहली यूपीए सरकार ने शुरू किए थे, उनके लिए भी रकम में बहुत बढ़ोत्तरी की गई है। सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए जो बिल संसद में पेश किया गया है, उसको जल्द से जल्द कानून में बदलने की कोशिश की जाएगी।

यह दुःख की बात है कि हमारे समाज में बच्चियों को पैदाइश से पहले ही मार देने की घटनाएं आज भी हो रही हैं। यह हमारे समाज के माथे पर एक जबरदस्त कलंक है। जितनी जल्दी मुमकिन हो, हमें इसे मिटाना होगा। हमारी तरक्की तब तक अधूरी रहेगी जब तक हमारी महिलाएं हमारे जीवन के हरेक क्षेत्र में और राष्ट्र की प्रगति में समान भागीदार नहीं बन जातीं। हमारी सरकार महिला आरक्षण विधेयक को जल्द से जल्द पास कराने के लिए प्रतिबद्ध है। यह विधेयक पार्लियामेंट और स्टेट असेम्बलीज में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण प्रदान करेगा। हम एक ऐसा

कानून बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं जिसके द्वारा ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं को पचास प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। असल में हमें ऐसे उपाय ढूंढने की ज़रूरत है जिनसे सभी लोकतान्त्रिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ सके। महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक तौर पर ज्यादा अख्तियार देने के लिए हमारी सरकार लगातार कोशिश करती रहेगी। हमने राष्ट्रीय महिला साक्षरता मिशन शुरू करने का फेसला किया है। जिसके द्वारा महिला निरक्षरता की वर्तमान दर को अगले तीन साल में आधा किया जा सकेगा।

अपने बहादुर सैनिकों पर हमें नाज़ है। यह हमारा फर्ज़ बनता है कि हमें यह सुनिश्चित करें कि हमारे भूतपूर्व सैनिक आराम से अपनी जिंदगी बसर कर सकें। भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन के मामले का अध्ययन करने के लिए बनी कमेटी की सिफारिशों को हमने मंजूरी दे दी है। इससे करीब बारह लाख रिटायर्ड जवानों और जूनियर कमीशन्ड ऑफीसरों की पेंशन बढ़ जाएगी।

भाइयों और बहनों,

अपने विकास के सफ़र में न केवल हमें समाज के कुछ तबकों पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है बल्कि देश के पिछड़े हिस्सों की विशेष ज़रूरतों का भी खास ख्याल रखना है। विकास के मामले में हम क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए प्रयास तेज करेंगे। यहाँ मैं अपने उत्तर–पूर्व क्षेत्र के राज्यों का ज़िक्र खास तौर पर करना चाहूंगा। हमारी सरकार की बराबर यह कोशिश रहेगी कि हमारे उत्तर–पूर्व के राज्य देश की प्रगति में बराबर के हिस्सेदार बनें। इम्फाल या कोहिमा जमीनी तौर पर नई दिल्ली से दूर ज़रूर हैं, लेकिन हमारे ज़ेहन में इनकी भलाई का ख़्याल हमेशा रहता है। हम यह जानते हैं कि बिना उनकी भलाई के हमारा राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता।

भाइयों और बहनों,

पिछले स्वतंत्रता दिवस पर जब मैंने आपके सामने अपनी बात रखी थी, इसके बाद से अब तक जम्मू–कश्मीर में दो चुनाव हो चुके हैं। पहला, राज्य विधान सभा के लिए और दूसरा लोक सभा के लिए। दोनों ही चुनावों में राज्य के हर इलाके की जनता ने बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया। यह इस बात का पुख्ता सबूत है कि जम्मू–कश्मीर में अलगाववादी विचारधारा के लिए अब कोई जगह नहीं है।

जम्मू और कश्मीर के सभी हिस्सों में शासन में सुधान लाने के लिए हमारी सरकार राज्य सरकार की भरपूर मदद करती रहेगी। हमारी कोशिश रहेगी कि राज्य में मानवाधिकारों का आदर किया जाए और राज्य के सभी नागरिक सुरक्षा के माहौल में अमन–चैन और आत्म–सम्मान के साथ अपनी जिंदगी बसर कर सकें। हम संविधान में जम्मू–कश्मीर को दिए गए आश्वासनों और रियायतों का आदर करते हैं। हम इन विशेष प्रावधानों को बनाए रखेंगे।

भाइयों और बहनों,

आज की दुनिया बहुत से मायनों में बहुत छोटी होती जा रही है। चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय संकट हो, आतंकवाद हो, या जलवायु परिवर्तन, दुनिया के एक हिस्से में जो कुछ होता है, इसका असर दूसरे हिस्सों पर भी पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और राजनैतिक व्यवस्था में बदलाव आ रहा है। जिन बहुपक्षीय संस्थाओं की स्थापना बीसवीं शताब्दी में की गयी थी, आज उनकी कार्य प्रणाली और उपयोगिता पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

आज हमारी विदेश नीति ऐसी होनी चाहिए जो इन लगातार बदलते हुए हालात में भारत के हितों के लिए काम कर सके। मुझे खुशी है कि हम ऐसा करने में काफी हद तक कामयाब रहे हैं। अमरीका, रूस, चीन, जापान और यूरोप के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और खाड़ी के देशों में भारत और उसके नागरिकों के लिए बहुत सद्भावना है। हमने अफ्रीका के साथ अपने रिवायती रिश्तों को और मजबूत किया है। हम लैटिन अमेरिका में नई संभावनाएं तलाश कर रहे हैं। जहां तक हमारे पड़ोसियों का सवाल है, हम उनके साथ अमन और शान्ति से रहना चाहते हैं। हम ऐसा माहौल पैदा करने की हर कोशिश करेंगे जो पूरे दक्षिण पश्चिम के सामाजिक और आर्थिक विकास के हित में हो।

भाइयों और बहनों,

हम कितने ही अच्छे कार्यक्रम और योजनाएं क्यों न शुरू कर दें, जब तक हमारा सरकारी तंत्र भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हो जाता और इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू नहीं करता, तब तक इन योजनाओं का फायदा आम जनता तक नहीं पहुँच सकेगा। मैं चाहता हूँ कि हमारा सार्वजनिक प्रशासन ज्यादा चुस्त–दुरूस्त बने ताकि जनता के हित के काम तेजी से हो सकें। नागरिकों को बुनियादी सेवाएँ मुहैया कराने के लिए डिलीवरी सिस्टम्स में हमें सुधान लाने की जरूरत है। प्रशासन को मज़बूत करने के लिए हम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफ़ारिशों पर तेजी से कार्रवाई करेंगे। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से लोक प्रशासन को decentralize करने और उसमें लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नए सिरे से कोशिश की जाएगी। करदाताओं के पैसे का बेहतर इस्तेमाल हो सके, इसके लिए सरकार और सिविल समाज के बीच एक नई भागीदारी के लिए पहल की जाएगी। सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए हमने सूचना का अधिकार कानून बनाया है। इस कानून में ज़रूरी सुधार किए जाएंगे ताकि यह और भी प्रभावी बन सके।

हमें ग्रामीण क्षेत्रों में अपने प्रोग्राम लागू करने के लिए खासतौर पर अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को मज़बूत करना होगा। जो लोग गांवों और कस्बों में रहते हैं उन्हें भी इसी तरह की सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए जो शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों की मिलती हैं। इस काम में हमें कम्यूनीकेशन और इन्फोरमेशन टैक्नोलॉजी से बहुत मदद मिल सकती है। हमने हाल ही में Unique Identification Authority of India की स्थापना की है। यह समूचे देश को अच्छी शासन

(52)

व्यवस्था से जोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। हमें उम्मीद है कि अगले एक–डेढ साल में पहचान नम्बरों का पहला सेट तैयार हो जाएगा।

भाइयों और बहनों,

आज जब में यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ तो प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ते सौ करोड़ से अधिक भारतीयों की ऊर्जा मैं महसूस कर रहा हूं। कुछ लोग पूंछते हैं कि क्या भारत अपनी क्षमता को कभी पूरी तरह हासिल कर पाएगा। मुझे तो इस बात में जरा भी शक नहीं है। हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमें खुद पर भरोसा है। हमारे पास राजनीतिक स्थिरता है। हमारा लोकतंत्र विश्व के सामने एक मिसाल है। हम आर्थिक रूप से मज़बूत हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपनी युवा पीढ़ी पर पूरा विश्वास है। हमारी युवा पीढ़ी हमारा आने वाला कल है। निश्चय ही, वो हमारे देश को एक नया गौरव प्रदान करेगी।

आइए, हम सब मिलकर एक सुनहरे भविष्य के लिए काम करें। आज के पावन अवसर पर हम संकल्प लें कि हमारे लिए राष्ट्र निर्माण ही सबसे बड़ा धर्म रहेगा।

प्यारे बच्चो, मेरे साथ मिलकर जय हिन्द बोलिए, तीन बार।

जय हिन्दी! (जन समूह....जय हिन्द)

जय हिन्दी! (जन समूह....जय हिन्द)

जय हिन्दी! (जन समूह....जय हिन्द)